यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अ सस्टेंट (क.नि.), राज्य कर, मसूरी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अ सस्टेंट (क.नि.), राज्य कर, मसूरी के माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री प्रवीण कुमार एवं श्री बी.एम.त्रीपाठी सहायक लेखापरीक्षा अ धकारियों एवं श्री नि खल गोस्वामी व.ले.प. द्वारा दिनांक 26.02.2018 से 15.03.2018 तक सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री संदीप कुमार एवं श्री अनूप गुप्ता, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारियों द्वारा दिनांक 25.05.2016 से 31.05.16 तक श्री के.एल.भट्ट, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2012 से 03/2016 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

2.(i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः मसूरी धनौल्टी तहसील क्षेत्र (जनरल ट्रेडर्स एवं सं वदाकार)

(ii) (अ) राजस्व ववरणः

वगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)
2014-15	623.70
2015-16	585.90
2016-17	542.74

(II) (ब) बजट का ववरण:- वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना	
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर
2014-15						
2015-16						
2016-17						

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii) इकाई को बजट आवंटन इकाई द्वारा आहरण वतरण का कार्य नहीं कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई .....'A'.... श्रेणी की है।

(iv) वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

स चव- आयुक्त कर- ए डशनल क मश्नर- ज्वाइन्ट क मश्नर- डप्टी- सहायक आयुक्त- वा णज्य कर अ धकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय अ सस्टेंट (क.नि.), राज्य कर, मसूरी को आच्छादित कया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अ सस्टेंट (क.नि.), राज्य कर, मसूरी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) वस्तृत जांच हेतु माह का चयन :

राजस्वः - 03/2017

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-2 (ख)

प्रस्तर-01 अर्थदण्ड का अनारोपण रू 0.26 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम, 2005 की धारा 58(1) (Vii) के प्रावधानों के अनुसार अगर कोई व्यौहारी अपना कर बिना युक्तियुक्त कारण के वलम्ब से जमा करता है तो उस पर न्यूनतम 10 प्रतिशत का अर्थदण्ड आरोपणीय होगा।

कार्यालय अ सस्टेंट क मश्नर (क.नि) राज्य कर, मसूरी की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया क निम्न ल खत 02 व्यापारियों ने अपना कर वलम्ब से जमा कया है।

ववरण निम्नवत् है।

क्रम सं0	व्यापारी का नाम एवं वर्ष	माह/त्रैमास	जमा करने की निर्धारित ति थ	जमा करने की वास्त वक ति थ	कर	अर्थदण्ड
1	सर्व श्री डजाइन हाऊस (2013-14) मसूरी	दिसम्बर, 2013 जनवरी, 2014	25.01.2014 25.02.2014	27.01.2014 28.02.2014	12,6,194/- 90,968/-	12,619/- 90,97/-
2	सर्व श्री होटल सल्वर रॉक, लाईब्रेरी, मसूरी (2014-15)	अप्रैल से जून, 2014 अक्टूबर से दिसम्बर, 2014 जनवरी से मार्च, 2015	20.07.2014 20.01.2015 20.04.2015	01.08.2014 23.01.2015 25.04.2015	21,446/- 11,558/- 8,048/-	2,144/- 1,156/- 805/-
					योग	25,821/-

इस प्रकार रू 25,821/- का आरोपित था जिसे आरोपित नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभागीय उत्तर में प्रकरण की जाँच नियमानुसार कार्यवाही का आश्वासन दिया गया।

अत: उक्त प्रस्तर उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 (ख)

प्रस्तर-02 ब्याज का अनारोपण रू 17982/-

उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम 2005 के धारा 34 के प्रावधानो के अनुसार आरो पत कर वहित समय से जमा करने में असफल रहने पर तामील की तारीख से भुगतान की ति थ तक 09 प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा।

कार्यालय अ सस्टेन्ट क मश्नर (क.नि.) वा णज्य कर, मसूरी के वर्ष 2013-14 के अ भलेखों की नमूना लेखा परीक्षा जाँच में पाया गया क व्यापारी सर्वश्री डी.एस. गुप्ता कोन्ट्रक्टस ल0 क.नि. वर्ष 2013-14 के वाद में कर निर्धारण अ धकारी द्वारा अपने कर निर्धारण आदेश दिनांक 06.03.2017 में व्यापारी पर रू 34225228 की माँग निकाली गयी थी। व्यापारी द्वारा उपरोक्त मांग 26.10.2017 को जमा कया गया, नियमानुसार 7 माह का ब्याज 17982 आरोपणीय होगा।

लेखा परीक्षा द्वारा इं गत कये जाने पर वभाग द्वारा बताया गया क नियमानुसार ब्याज जमा कराने की कार्यवाही की जायेगी।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 (ख)

प्रस्तर-03 कर का न्यूनारोपण रू 8013/-

उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम 2005 की धारा 4(2) ख (i) (ई) में यह प्रावधान कया गया है क कसी भी अनुसूची में सम्मि लत माल से भन्न माल के सम्बन्ध में करदेयता 13.5 प्रतिशत होगी।

कार्यालय अ सस्टेन्ट क मश्नर (क.नि.) वा णज्य कर मसूरी की नमूना लेखा परीक्षा जाँच में पाया गया क व्यौहारी सर्वश्री स्पाइस इन लाइफ होटल रतन कुलडी ने वर्ष 2014-15 में बिक्री कम प्रद र्शत कया।

आरम्भिक रहतिया - अन्तिम स्टॉक = बिक्री (लाभरहित)

52,764 + 112909 - 54,630 = 111043

प्रद र्शत बिक्री = 51,687

कम प्रद र्शत बिक्री = 111043-51687

= 59356

अत: कम प्रद र्शत बिक्री पर 13.5 प्रतिशत की दर से रू 8013 का कर आरोपणीय है।

उक्त के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा द्वारा इं गत कये जाने पर वभाग ने बताया क प्रकरण की जाँच कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

	प्रारम्भ की स्थिति	
निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'क' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या
CT-00/2010-11	-	01
CT-40/2012-13	-	03,04

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : शून्य

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण : शून्य

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

भाग-**V**

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अ सस्टेंट (क.नि.), राज्य कर, मसूरी तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गये:
   टिप्पणी- शून्य

2. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1.	श्री सुरेश कुमार	अ सस्टेंट क मश्नर
2.	श्री श शकान्त दूबे	अ सस्टेंट क मश्नर

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय अ सस्टेंट (क.नि.), राज्य कर, मसूरी को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रे षत कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अ धकारी/राजस्व क्षेत्र